कोटा

7-5-24	सुनवाई पेश हुई। अपी० एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं है। रेस्पो० भी अनुपस्थित है। अपी० के द्वारा अभि० को 2-3 बार अवसर दिया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। व्यथित है। अदालत समय समाप्ति से पूर्व पुनः अवसर दिया गया फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलार्थ अपील हाजिरी अवसर पैरवी स्वामित की जाती है। पत्रावली निर्णय हेतु पेश होकर बाद दाखिला दफ्तर हो।	122/2022

अति. सं. आयुक्त
कोटा